पत्रांक- BPSMS/विविध - 10/2019 सो0...3549...

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा

सचिव -सह- अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

विकास आयुक्त, बिहार
महानिदेशक, बिपार्ड, पटना
अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास, बिहार
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार
प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना
सचिव, विधि विभाग, बिहार

पटना, दिनांकः-...18/08/2023...

विषयः- **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 33 वीं बैठक की सूचना।**

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है की मुख्य सचिव, बिहार -सह- अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 33 वीं बैठक **दिनांक- 28.08.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से** मुख्य सचिव, बिहार -सह- अध्यक्ष, शासी परिषद के कार्यालय कक्ष में आहूत की गई है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए।

अनु०- कार्यावली की छायाप्रति

विश्वासभाजन

18/8/23

(डॉ. प्रतिमा)

सचिव -सह- अपर मिशन निदेशक

E:\amit kumar directory\Draft 10-19 vividh.docx
E:\amit kumar directory\Draft 10-19 vividh.docx

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 33 वीं बैठक के लिए कार्यावली बिन्दु एवं प्रस्ताव

कार्यावली बिन्दु:-01

दिनांक-10.10.2022 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही (यथा- अनुलग्नक-1) की सम्पुष्टि।

कार्यावली बिन्दु:-02

दिनांक-10.10.2022 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन (यथा- अनुलग्नक -2) का अनुमोदन।

कार्यावली बिन्दु:-03

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यय के आकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु रू. 1,63,54,60,736.00 (एक अरब, तिरसठ करोड़, चौवन लाख, साठ हजार, सात सौ छत्तीस) का विषय शीर्षवार एवं मदवार बजट प्राक्कलन तैयार किया गया था (परिशिष्ट-3)। इस बजट प्राक्कलन को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन कार्यालय के पत्रांक-2658, दिनांक-04.11.2022 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था। इस आलोक में मिशन कार्यालय हेतु कुल रू. 1,57,97,00,000.00 (विषय शीर्ष 3104- वेतन मद में रू.1,37,73,00,000.00 तथा सहायक अनुदान विषय शीर्ष 3106- गैर वेतन में रू. 20,24,00,000.00) का बजट उपबंध किया गया है।
विगत वित्तीय वर्षों में विषय शीर्षवार बजट प्राक्कलन, प्राप्तियाँ, व्यय एवं अवशेष राशि तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राक्कलन का विवरण निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	विषय शीर्ष	बजट/पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन की राशि	बजट उपबन्ध की राशि	प्राप्त सहायक अनुदान की राशि	अब तक किये गये व्यय के उपरान्त अवशेष राशि	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
2020-21	3104-वेतन	1292900000.00	1292900000.00	1292900000.00	अव्ययित राशि वापसी सहित पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया गया है।	
	3106-गैर वेतन	140000000.00	140000000.00	140000000.00		
	कुल	**1432900000.00**	**1432900000.00**	**1432900000.00**		
2021-22	3104-वेतन	1168800000.00	1152000000.00	1152000000.00	अव्ययित राशि वापसी सहित पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया गया है।	
	3106-गैर वेतन	133000000.00	133000000.00	133000000.00		
	कुल	**1301800000.00**	**1285000000.00**	**1285000000.00**		
2022-23	3104-वेतन	1224341532.00	1224400000.00	1224400000.00	1,42,00,000.00	जिला से UC प्राप्त किया जा रहा है। सा.प्र.विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।
	3106-गैर वेतन	1507688700.00	150600000.00	150600000.00	3,86,00,000.00	
	कुल	**1375110232.00**	**1375000000.00**	**1375000000.00**	**5,28,00,000.00**	
2023-24	3104-वेतन	1377380736.00	1377300000.00	1377300000.00	14,73,41,176.00	वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर UC प्राप्त किया जाएगा।
	3106-गैर वेतन	258080000.00	202400000.00	202400000.00	14,63,35,560.00	
	कुल	**1635460736.00**	**1579700000.00**	**1579700000.00**	**29,36,76,736.00**	

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राक्कलन की पदवार एवं मदवार विवरणी परिशिष्ट-'03' के रूप में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु रू. 1,63,54,60,736.00 (एक अरब, तिरसठ करोड़, चौवन लाख, साठ हजार, सात सौ छत्तीस) के बजट प्राक्कलन एवं तदालोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु उपबंधित कुल राशि रू. 1,57,97,00,000.00 (विषय शीर्ष 3104- वेतन मद में रू.1,37,73,00,000.00 तथा सहायक अनुदान विषय शीर्ष 3106- गैर वेतन में रू. 20,24,00,000.00) पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

कार्यावली बिंदु-04

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के Audit Report पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं इसके Reform Support Unit (Rsus) का वित्तीय वर्ष 2021-22 का Statutory Audit निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी P Jyoti & Co. (CA) द्वारा किया गया है और अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत है :-

1. There are no transactions that appear to be contrary to the rules or byelaws of the Organization.
2. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
3. In our opinion, the Organization as required has kept proper books of accounts, so far as appears from our examination of those books.
4. The Balance Sheet, Receipts & Payments Account and Income & Expenditure Account are in agreement with the books of accounts.
5. At the time of closing of accounts, confirmation of significant balances lying with others should be obtained and preserved for Records.
6. Accounts submitted for audit should have significant accounting policies adopted through notes to acdounts.
7. The accounts should have been classified and described in accordance with recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirements.
8. The Organization has been advised to maintain proper records to show full particulrs. Including quantitative details and situation of fixed assets. Also, physically verify the fixed assets by the management.
9. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give a true and fair view, in conformity with the accounting Principles Generally accepted in India:
   a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at for the year ended 31.03.2022 and
   b) In the case of Receipts & Payments Account, Income & Expenditure Account, of the Excess of Expenditure over Income for the Year ended on that date.

(यथा- अनुलग्नक-3)

Statutory Audit के लिए चयनित एजेंसी P Jyoti & Co. (CA) द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी तथा इसके Reform Support Unit (RSUs) का वित्तीय वर्ष 2021-22 के Statutory Audit Report पर शासी परिषद की अनुमोदन प्रार्थित है।

कार्यावली बिन्दु:-05

राज्य अंतर्गत सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में अवस्थित कुल 534 लोक सेवा केन्द्रों की रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन, फर्नीचर, आलमीरा एवं रैक हेतु राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों में अवस्थित कुल 534 लोक सेवा केन्द्रों की रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन, फर्नीचर, आलमीरा एवं रैक हेतु एक लाख पचास हजार रूपये प्रति लोक सेवा केंद्र की दर से संगणित राशि जिलों को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। संभावित व्यय की गणना निम्नवत है:-

कार्यालय की विवरणी	कार्यालयों की कुल संख्या	रंगाई/ पुताई दीवाल लेखन, फर्नीचर, आलमीरा एवं रैक हेतु प्रति कार्यालय राशि	कुल राशि
1	2	3	4
प्रखंड –सह- कार्यालयों में अवस्थित लोक सेवा केन्द	534	1,50,000.00	**8,01,00,000.00**
			(आठ करोड़ एक लाख)

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कॉलम-4 में वर्णित कुल रू. 8,01,00,000.00 (आठ करोड़ एक लाख) की राशि को सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में अवस्थित कुल 534 लोक सेवा केन्द्रों की रंगाई/पुताई, दीवाल लेखन, फर्नीचर, आलमीरा एवं रैक हेतु आवंटन की उपलब्धता के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर जिलों को उपलब्ध कराने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

कार्यावली बिन्दु:-06

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के लिए भाड़े पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की दूरी अधिसीमा में वृद्धि के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 18वीं बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के लिये भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन की दूरी अधिसीमा 2000 कि.मी. तथा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के लिये भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन की दूरी अधिसीमा 1000 कि.मी. निर्धारित की गयी थी।

जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों से प्रखण्डों मे संचालित योजनाओं का निरीक्षण का कार्य कराया जाता है, जिसके कारण उनके द्वारा वाहन की दूरी की अधिसीमा में वृद्धि करने हेतु बार-बार अनुरोध किया जा रहा है।

उक्त आलोक में सौपे गये दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के लिये भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन की मासिक दूरी अधिसीमा को 1000 कि.मी. से बढ़ा कर 2000 कि.मी. करने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

कार्यावली बिन्दु:-07

जिला एवं अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण कार्यालयों एवं प्रखंड-सह- अंचल कार्यालयों में अवस्थित सभी लोक सेवा केन्द्रों में वैकल्पिक हाई स्पीड इन्टरनेट की व्यवस्था हेतु प्रति माह प्रति कार्यालय रू. 1000 की दर से जिलों को राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

जिला एवं अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण कार्यालयों एवं प्रखंड-सह-अंचल कार्यालयों में अवस्थित लोक सेवा केन्द्रों पर वर्तमान में उपयोग किये जा रहे इन्टरनेट की स्पीड के सामान्यतया धीमा रहने के कारण लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं लोक सेवा केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदायगी का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होता है। लोक शिकायत निवारण कार्यालयों एवं लोक सेवा केन्द्रों के निरीक्षण के क्रम में इन कार्यालयों हेतु वैकल्पिक इन्टरनेट की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

वैकल्पिक हाई स्पीड इन्टरनेट की व्यवस्था हेतु प्रति माह प्रति कार्यालय रू. 1000 की दर से राशि उपलब्ध कराये जाने पर कुल वार्षिक व्यय रू. 80,76,000.00 (अस्सी लाख छिहत्तर हजार) है, जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

कार्यालय की विवरणी	कार्यालयों की कुल संख्या	रू. 1000/कार्यालय/माह की दर से वैकल्पिक हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था पर होने वाला व्यय की राशि	
		मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	2	3	4
प्रखंड –सह- कार्यालयों में अवस्थित लोक सेवा केन्द	534	5,34,000.00	**64,08,000.00**
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय	38	38,000.00	**4,56,000.00**
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय	101	1,01,000.00	**12,12,000.00**
कुल राशि		6,73,000.00	**80,76,000.00**
			(अस्सी लाख छिहत्तर हजार रूपये)

अतः सभी जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालयों तथा प्रखंड–सह-अंचल कार्यालय में अवस्थित लोक सेवा केन्द्रों पर वैकल्पिक हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था हेतु रू. 1000.00/कार्यालय/माह की दर से जिलों को राशि उपलब्ध कराये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

कार्यावली बिन्दु:-08

Bihar Sparrow System के तहत e-PAR आलेखन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग में गठित PMU में NICSI के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कर्मियों के शूल्क/मानदेय एवं

पारिश्रमिक भुगतान तथा 5000 Licences का नवीनीकरण एवं अतिरिक्त 20000 Licences का विस्तारीकरण हेतु व्यय की गई राशि पर घटनोत्तर अनुमोदन।

सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय आदेश संख्या-**4009,** दिनांक-**27.02.2023** के तहत **Bihar Sparrow System** के तहत **e-PAR** आलेखन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिये गठित **PMU** में **NICSI** के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कर्मियों के सेवा शुल्क/मानदेय/पारिश्रमिक के लिए **National Informatic Centre Service Inc. (NICSI)** को प्रति वर्ष स्वीकृत राशि का भुगतान करने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को प्राधिकृत किया गया है।

इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में गठित **PMU** में दिनांक-05.01.2023 से 04.01.2024 तक **National Informatic Centre Service Inc. (NICSI)** द्वारा उपलब्ध कराये गये तीन कर्मियों के सेवा शुल्क/मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान के लिये समर्पित कुल रुपये 25,10,513/- (पच्चीस लाख दस हजार पाँच सौ तेरह मात्र) का **Performa Invoice** पर **NICSI** को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुदान शीर्ष-3106 गैर वेतन मद से भुगतान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-5942, दिनांक-27.03.2023 के द्वारा बिहार सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों के **Group A** एवं **Group B** श्रेणी के कर्मियों/पदाधिकारियों के **Bihar Sparrow System** के तहत **e-PAR** आलेखन करने हेतु **National Informatic Centre Service Inc. (NICSI),** नई दिल्ली से लिये गये लाइसेंस के नवीनीकरण एवं नये लाइसेंस को लेने में सन्निहित राशि का भुगतान करने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राधिकृत किया गया है।

इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-6045, दिनांक-28.03.2023 के द्वारा **Bihar Sparrow System** के तहत 5000 लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये रुपये 48,55,405/- एवं 5000 **Licences** से 25000 **Licences** अर्थात् अतिरिक्त 20000 **Licences** का विस्तारीकरण 5 वर्षों के लिये करने हेतु रुपये 12,33,466/- अर्थात कुल 60,88,871/- (साठ लाख अठासी हजार आठ सौ एकहत्तर मात्र) का भुगतान **National Informatic Centre Service Inc. (NICSI)** द्वारा समर्पित **Performa Invoice** पर सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुदान शीर्ष-3106 गैर वेतन मद से किया गया है।

Bihar Sparrow System के तहत e-PAR आलेखन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग में गठित PMU में NICSI के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कर्मियों के शूल्क/मानदेय एवं पारिश्रमिक भुगतान तथा 5000 Licences का नवीनीकरण एवं अतिरिक्त 20000 Licences का विस्तारीकरण हेतु व्यय की गई राशि पर घटनोत्तर अनुमोदन।

<u>कार्यावली बिन्दु:-09</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय में स्थापित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित कॉल सेन्टर के तीन वर्षों तक संचालन हेतु बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गई राशि पर घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 के नियम-3 (6) के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना कार्यालय में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कॉल सेन्टर स्थापित है, जो दिनांक-05.06.2016 से कार्यरत है।

इस कॉल सेन्टर के संचालन का दायित्व बेल्ट्रॉन द्वारा निविदा के माध्यम से 03 (तीन) वर्षों के लिये चयनित एजेंसी M/s Cyfuture India Pvt. Ltd. द्वारा दिनांक-27.09.2019 तक कार्य किया गया। उसके पश्चात पुन: निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी M/s Pace Computer Services को तीन वर्षो के लिये कॉल सेन्टर संचालन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान विषय शीर्ष-3106 के गैर वेतन मद से बेल्ट्रॉन को कुल रूपये 85,87,140.00/- (पचासी लाख सतासी हजार एक सौ चालीस मात्र) की राशि उपलब्ध कराया गया। उक्त अवधि दिनांक-27.09.2022 को समाप्त हो गयी थी। इसके पश्चात पुन: बेल्ट्रॉन द्वारा निविदा के माध्यम से 03 (तीन) वर्षों के लिये चयनित एजेंसी M/s Pace Computer Services, Kolkata को भुगतान करने हेतु बेल्ट्रॉन को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान विषय शीर्ष-3106 के गैर वेतन मद से कुल रूपये 85,87,140.00/- (पच्चासी लाख सत्तासी हजार एक सौ चालीस मात्र) की राशि उपलब्ध कराया गया।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय में स्थापित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित कॉल सेन्टर के तीन वर्षों तक संचालन हेतु बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गई राशि पर घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

कार्यावली बिन्दु –10

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के पूर्वी भाग के छूटे हुये अंश के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्य पर किए गए व्यय का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के पूर्वी भाग के छुटे हुए अंश के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्य कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त होने वाले अनुदान विषय शीर्ष 3106 गैर वेतन मद से कुल प्राक्कलित राशि ₹1,29,01,274.00 (एक करोड़ उनतीस लाख एक हजार दो सौ चौहत्तर) कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना को उपलब्ध कराया गया है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के पूर्वी भाग के छुटे हुये अंश के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य कार्य पर किए गए व्यय का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

कार्यावली बिन्दु-11

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के नियोजनमुक्त किये जाने पर अपीलीय प्राधिकार का गठन किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन।

उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक-12534, दिनांक-17.09.2018 के कंडिका-07 (ज) में संविदा कर्मियों को हटाये जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान है। जो निम्नवत है :-

" यद्यपि यह सही है कि कार्य अंसतोषजनक पाये जाने पर संविदा कर्मी की सेवा समाप्त की जा सकती है, तथापि मनमाने ढंग से किसी संविदा कर्मी को न हटाया जाए, इसलिए यह आवश्यक है कि संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के विरूद्ध अपील का प्रावधान हो । अपील का स्वरूप क्या होगा, यह संबंधित

विभाग/प्रधिकार/निगम/सोसाइटी द्वारा तय किया जा सकता है। " यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील का प्रावधान केवल सेवा से हटाये जाने की स्थिति में लागू होगा।

उपर्युक्त वर्णित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदात्मक पद पर नियोजित आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायकों के नियोजनमुक्त किये जाने पर अपील का प्रावधान किये जाने हेतु अपीलीय प्राधिकार का गठन निम्न सारणी के अनुसार किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है :-

क्र.	संविदात्मक पद का नाम	नियोजन प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार
1.	आई0 टी0 प्रबंधक	मिशन निदेशक	विकास आयुक्त
2.	आई0 टी0 सहायक	जिला पदाधिकारी	प्रमण्डलीय आयुक्त
3.	कार्यपालक सहायक	जिला पदाधिकारी	प्रमण्डलीय आयुक्त

<u>कार्यावली बिन्दु-12</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार दिनांक-30.09.2023 तक विस्तारित किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन एवं साथ ही 31वीं बैठक की कार्यावली बिन्दु-14 में लिए गए निर्णय L.P.A. के निर्णय की प्रतीक्षा करने के क्रम में L.P.A. का निर्णय आने तक अवधि विस्तार पर शासी परिषद का अनुमोदन।

शासी परिषद की 25वीं बैठक के निर्णय के आलोक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त्त नियोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी हैं।

यह नियोजन मात्र तीन माह हेतु था तथा उक्त अवधि में बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरान्त इनकी सेवा को आवश्यकतानुसार आगे जारी रखा जाना था, अनुत्तीर्ण होने पर तत्काल नियोजनमुक्त किया जाना था।

कोरोना संक्रमण एवं कतिपय कारणों से दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं किये जाने तथा जुलाई, 2021 में आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने एवं तदोपरान्त बेल्ट्रॉन को दक्षता परीक्षा का आयोजन हेतु चयनित एजेंसी का चयन नहीं होने, एजेंसी के चयनोपरान्त आयोजित परीक्षा में सभी के द्वारा सम्मिलित नहीं होने, माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर **L.P.A.** के निर्णय की प्रतीक्षा करने हेतु शासी परिषद की 31वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु-14 में लिए गए निर्णय के कारण समय-समय पर अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों का नियोजन अवधि का विस्तार किया गया है। संबंधित **L.P.A.** में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उक्त क्रम में शासी परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यपालक सहायकों का नियोजन अवधि का विस्तार दिनांक-30.09.2023 तक किया गया है।

उपरोक्त वर्णित के क्रम में निम्नलिखित प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है :-

i. शासी परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यपालक सहायकों का नियोजन अवधि का दिनांक-30.09.2023 तक किए गए विस्तार पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

ii. उपरोक्त वर्णित L.P.A. में निर्णय आने तक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किए गए कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधी का विस्तार किए जाने पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। शेष शर्त्तें यथावत रहेगी।